//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 05 / 2023

उनवान

1. रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र छगना जाति कुम्हार (प्रजापति) नि0 ग्राम नान्दला, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति अग्रवाल निवासी म.न. 583 रामदयाल मोहल्ला नसीराबाद,
2. राजेश बंसल पुत्र सत्यनारायण जाति अग्रवाल निवासी 28 बी रिको कॉलोनी माखुपुरा अजमेर हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड नसीराबाद
3. श्वेता पत्नि मुकेश जाति अग्रवाल निवासी म.न. 25 सदर बाजार नसीराबाद,
4. सुशीलादेवी पत्नि सुभाषचन्द जाति अग्रवाल निवासी म.न. 774 किशनगढीया मोहल्ला नसीराबाद,
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 4 अनुपस्थित
5 जरियें राज0 पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 5.7.23

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 910 रकबा 0.40 व 911 रकबा 0.07 व 912 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर प्रवेश हेतु खसरा नम्बर 5016/916 जो [illegible] /916 सिवायचक आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की है व खसरा नम्बर 5015/916 [illegible] दक्षिण दिशा की तरफ का उपयोग करता है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का [illegible] आवागमन हेतु राजस्व मार्गाधिकार है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी [illegible] अपने खेतों पर आवागमन अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी कृषि [illegible] व सिवायचक ख[illegible] हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी खसरा नम्बर 5[illegible]/916 व सिवायचक ख[illegible] [illegible] के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी नम्बर 5015/916 में से आवागमन करता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:42 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खेतों पर आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता विधमान नही है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु उक्त खसरा नम्बर में से 20 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। अपार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 909/0.22, 910/0.16, 911/0.19 व 912/0.24 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 5016/916 रकबा 0.3654 अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी है जो राजस्व अभिलेख में भी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 4684/916 रकबा 0.02 व 5015/916 रकबा 0.0135 सिवायचक है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी परं आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 4684/916, 5015/916 व 5016/916 में से लघुतम रास्ता प्राप्त किया जा सकता है। उक्त रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में चाहे गये रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यांतिक आवश्यकता सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रार्थी को ग्राम नान्दला के खसरा नम्बर 5016/916 में से 87 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल 522 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 5015/916 में से 10 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल 60 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 4684/916 में से 12 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल 72 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नम्बर 5015/9616 व 4684/9616 की मुआवजा डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि 49024/ अक्षरे उनचास हजार चौबीस रूपये राजकोष में भुगतान व खसरा नम्बर 5016/916 की मुआवजा डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि 193866/ अक्षरे एक लाख तिरयानवे हजार आठ सौ छियासठ रूपये अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को भुगतान करते हुये राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला - अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:42 IST
Reason: SelfAttested